डीजी-परिपत्र संख्या- 5 /2018

ओ0पी0 सिंह
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1 तिलकमार्ग, लखनऊ।
दिनांक : लखनऊः फरवरी 19, 2018

विषय : जनपदीय पुलिस अधीक्षकों द्वारा नियमित रूप से मासिक विचार-विमर्श गोष्ठी में जनपद के जन-प्रतिनिधियों अर्थात् मा0 सांसदो एवं मा0 विधायकों को सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

जन-प्रतिनिधियों अर्थात् मा0 सांसदों एवं मा0 विधायकों के साथ प्रत्येक माह अपराध नियन्त्रण शांति एवं कानून व्यवस्था आदि विषयों पर विचार-विमर्श हेतु गोष्ठी किये जाने के सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर से समय-समय पर निर्देश निर्गत किये गये हैं जो पार्श्वांकित में उल्लिखित हैं।

डीजी परिपत्र सं0: 06/1992 दिनांक 29.01.92
डीजी परिपत्र सं0: 48/1981 दिनांक 16.10.81
अ0शा0पत्रांक: कान-58-81 दिनांक 07.11.81
अ0शा0पत्रांक: कान-98-81 दिनांक 21.05.84
डीजी परिपत्र सं0: 13/2014 दिनांक 03.03.14

संज्ञान में आया है कि आप द्वारा नियमित रूप से अपने जनपद के जन-प्रतिनिधियों अर्थात् मा0 सांसदों एवं मा0 विधायकों आदि के साथ मासिक रूप से अपराध नियन्त्रण, शांति एवं कानून व्यवस्था आदि विषयों पर विचार-विमर्श हेतु गोष्ठी का आयोजन नहीं किया जा रहा है, जिससे उनके विचारों एवं सुझावों का आदान-प्रदान नही हो पाता है एवं सक्षम स्तर पर उनकी बात न सुने जाने के कारण उन्हे असुविधा भी होती है। प्रायः शासन स्तर पर आयोजित होने वाली बैठकों, आश्वासन समिति की साक्ष्य में भाग लेने वाले जनप्रतिनिधियों द्वारा इस आशय की शिकायतें भी की जाती हैं। यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक है।

आप सहमत होगें कि जन-प्रतिनिधियों से समायिक विषयों पर समय-समय पर विचार-विमर्श करना पुलिस के हित में हैं। जहॉ एक ओर माननीयों की भावनाओं को समझने का अवसर मिलता हैं वही उनके द्वारा दिये गये उपयोगी सुझावों से पुलिस व्यवस्था भी और चुस्त-दुरूस्त की जा सकती है। वहीं इस प्रकार की गोष्ठियों से एक ऐसा अवसर प्राप्त होता है जब आप पुलिस के दृष्टिकोण और विशेष तौर से अपनी कठिनाइयों से जन-प्रतिनिधियों को भी अवगत करा सकते हैं। इस प्रकार माननीयों के विचारों के आदान-प्रदान से एक दूसरे को समझने में भी सहायता मिलती है।

मैं अपेक्षा करूँगा कि जन-प्रतिनिधियों के साथ गोष्ठियॉ नियमित रूप से प्रत्येक माह की 10तारीख तक जनपदों में आयोजित की जाये। बैठक कब करायी गयी, कौन-कौन जनप्रतिनिधि/अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया, किन-किन बिन्दुओं पर विचार-विमर्श हुआ का उल्लेख करते हुए संलग्न प्रारूप में आख्या जोनल अपर पुलिस महानिदेशक के माध्यम से ईमेल पता : igcrime-up@nic.in पर एवं हार्ड कापी सहित इस मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

उपरोक्त निर्देशों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायें।

भवदीय,

(ओ0पी0 सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1.अपर पुलिस महानिदेशक, कानून/व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
2.अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उ0प्र0 लखनऊ।
3.अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0, लखनऊ।
4.समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
5.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।

प्रारूप

जोन	परिक्षेत्र	जनपद	गोष्ठी का दिनांक	प्रतिभाग करने वाले का नाम	सुझाव/उठाये गये बिन्दु	निस्तारण के सम्बन्ध में टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7